

प्र०

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, कोषागार, पैशन एवं हकदारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग-7

आरक्ष / XXVII(7)50(31) / 2016

37) $\pi = \text{constant}$

$\int f_0 \circ f_0$

महादय,

उपर्युक्त विषय पर अपने पत्र संख्या 1255/04(2)काषागार सगठन/नि०का०प०ह०/2016, ददनाक 16 अगस्त, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा काषागार सर्वंग के ऐसे कार्मिकों को जिनको समयमान वेतनमान के अन्तर्गत रु0 6500-10500 उच्चीकृत वेतनमान 7500-12000 (पुनरीक्षित वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे 4800), 14 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम प्रोन्तीय वेतनमान के रूप में अनुमन्य किया गया है, को द्वितीय प्रोन्तीय वेतनमान/द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में देय वेतनमान/ग्रेड वेतन 15600-39100 ग्रेड पे 5400 की अनुमन्यता के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन मांगा गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोषागार सर्वग्रंथ में 80:20 के सिद्धान्त पर संवर्गीय पुर्नार्थन के परिणामस्वरूप पदोन्नतीय पंड की प्रास्थिति में परिवर्तन के कारण विषयगत प्रकरण पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 368/XXVII(3)स.वे/2005, दिनांक 23 अगस्त, 2005 के प्रस्तर 2(1) एवं (2) में तथा वित्तीय स्तरोन्ननयन की वर्तमान व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या 872/XXVII(7)न0प्रति0/2011, दिनांक 08 मार्च, 2011 के प्रस्तर 2(4) में दी गयी व्यवस्था के आलोक में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही अपने स्तर पर करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)

सचिव ।

संख्या — (1) / XXVII(7)50(31) / 2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
 3. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
 4. वित्त अनुभाग—6, उत्तराखण्ड शासन।
 5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)

अपर सचिव ।